# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
## अपील/आर टी ए /150/2014

रामचन्द्र बनाम धापू

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल |
|---|---|---|
| 28.2.2018 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । अधिवक्ता अपीलाण्ट का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शाहपुरा स्थित आराजी नम्बर 6808 रकबा 0.49 हेक्टर भूमि जिस जो कि पैतृक आराजियात होकर वादी का कब्जाकाश्त है। अपीलाण्ट/वादी के मौरूस तेजा खटीक का संवत 2004 में देहान्त हो गया । वक्त सेटलमेण्ट उपरोक्त आराजी तेजा के बडे पुत्र व वादी अपीलाण्ट क बडो भ्रता मांगू के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी । तत्समय प्रचलित परम्परा के अनुसार बडे पुत्र के नाम पैतृक आराजियात इन्तकाल खोल कर फैसल किया जाता था। उपरोक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा मांगू खटीक के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है व शेष 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट/वादी का है। इस अनुसार वादी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र के विचाराधीन होने के समय तारीख पेशी दिनांक 25.6.2013 को अधिवक्ता वादी/अपीलाण्ट के बाहर चले जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया । जिस पर वादी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी पी सी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 369/2013 कायम किये गये। उक्त प्रार्थना पत्र में वादी अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता के बाहर चले जाने से उपस्थिति नहीं दे पाने बाबत निवेदन किया एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया साथ ही यह भी निवेदन किया था कि वादी को न्यायालय की कार्यवाही का ज्ञान नहीं होने से वादी अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी पी सी की मन्शा को सही ढंग से नहीं समझ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपीलाण्ट को कहा कि जब भी तुम्हारी आवश्कता होगी तब तुम्ह बुला लूंगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.7.2014 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.9.2014 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। तब जाकर अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने का निवेदन भी किया ।<br>प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।<br>अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपील प्रस्तुत करने का जो कारण अपीलार्थी ने अंकित किया है, वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद | |

अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/वादी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी अधिकार हेतु वाद प्रस्तुत किया परन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी वादी खारिज किया गया । जिस पर वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जो खारिज किया गया । जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हित का उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड, एवं दस्तावेजात के आधार पर अंतिम तौर पर निर्णय पारित किया जाता है । अपीलार्थी/वादी को चूंकि अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिल पाया । इसलिए अपीलार्थी/वादी/प्रार्थी की अपील को नरमी का रूख अपनाते हुए स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मूल वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा